LL.B. (Third Year) EXAMINATION, 2018 LAW RELATING OF CRIMINAL PROCEDURE, JUV. JUSTICE AND PROB. OF OFFENDERS

Paper - II

Time allowed: Three Hours

Maximum Marks: 100

Part A (खण्ड 'अ') [Marks : 5×8=40]

Answer all questions in Part A (150 words each).

All questions carry equal marks.

खण्ड 'अ' में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part B (অড্ড 'অ') [Marks: 4×15=60]

Answer any four questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part A (खण्ड 'अ')

- 1. Explain the following:
 - (i) Summary Trial

- (ii) Public Nuisance
- (iii) Public Prosecutor
- (iv) Non-cognizable Offence
- (v) Anticipatory Bail.

निम्नांकित को समझाइये :

- (i) संक्षिप्त विचारण
- (ii) लोक-उपताप
- (iii) लोक-अभियोजक
- (iv) असंज्ञेय अपराध
- (v) अग्रिम जमानत।

Part B (खण्ड 'ब')

Unit I (इकाई I)

2. When can a Police Officer arrest a person without a warrant?

किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है ?

8002

- 3. What do you understand by "Judgement"? Whether the court can alter in "Judgement"? Explain.
 - निर्णय से आप क्या समझते हैं ? क्या न्यायालय द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ? समझाइये।
- 4. Define "Inquiry", "Investigation" and "Trial" and distinguish between them.
 - "जाँच", "अन्वेषण" व "विचारण" की परिभाषा दीजिए एवं उनके मध्य विभेद कीजिए।
- 5. What is "Charge"? State its objects and the particulars to be states therein.
 - 'आरोप' क्या है ? आरोप के विहित विवरणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
- 6. "It is an established rule of law that a person cannot be put into peril twice for the same offence." Critically examine this statement. Are there any exceptions to this rule?
 - "दण्ड विधि का यह सुस्थापित नियम है कि एक व्यक्ति को समान अपराध के लिए दुबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता।" इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं ?

- 7. Explain the following:
 - (i) Special offences in respect of Juveniles.
 - (ii) Competent authorities for Juveniles.

 निम्नलिखित को समझाइये :
 - (i) किशोरों के सन्दर्भ में विशेष-अपराध
 - (ii) किशोरों के लिए सक्षम प्राधिकरण।
 - 8. Write the facts, judgement and principles of law laid down in "State of Andhra Pradesh Vs. Ganeshwara Rao AIR 1968 SC. 1050.

आंध्र प्रदेश राज्य **बनाम** गणेश्वरा राव ए.आई.आर. 1968 सु. को. 1050 के तथ्यों, निर्णय और प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये।